

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ  
वाद सं०-18/2022

मो० सलीम निजामी वगैरह

-बनाम्-

गुलाम रसूल वगैरह

आदेश

18.03.22 थाना प्रभारी, परसन ओ० पी० के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमि पर खरीदगी वर्ष 1967 एवं 1986 से दखलकार रहने का उल्लेख कर द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन हड़पने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन

द्वितीय पक्ष की ओर से पक्ष अप्राप्त रहने की स्थिति एवं प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष, आवेदन एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माणाधीन रहने का पता चलता है एवं पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि के वास्तविक दखल निरूपण को लेकर उत्पन्न विवाद का निदान वस्तुतः सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में रहने का पता चलता है तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
खोरीमहुआ

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
खोरीमहुआ